अनुदान संख्या 52 - अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
GRANT No. 52 - ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*		*1,00*	*99*	*-1*
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	5176,42,00	5176,54,00	5086,98,26	-89,55,74
पूरक	Supplementary	12,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				80,98,00
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	587,22,00	587,42,00	471,69,73	-115,72,27
पूरक	Supplementary	20,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				114,94,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3451"	Major head "3451"				
सचिवालय– आर्थिक सेवाएं	Secretariat- Economic Services				
मू.	O.	1833.00			
पू.	S.	1.00	2653.03	2636.24	-16.79
पु.	R.	819.03			
मुख्य शीर्ष "2055"	Major Head "2055"				
पुलिस	Police				
मू.	O.	38671.00	39866.52	39860.68	-5.84
पु.	R.	1195.52			
मुख्य शीर्ष "2059"	Major Head "2059"				
लोक निर्माण	Public Works				
मू.	O.	17438.00	19069.19	19049.76	-19.43
पु.	R.	1631.19			
मुख्य शीर्ष "2070"	Major Head "2070"				
अन्य प्रशासनिक सेवायें	Other Administrative Services				
मू.	O.	11840.00	10974.03	10939.78	-34.25
पु.	R.	-865.97			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	63028.00	62709.96	62575.74	-134.22
पु.	R.	-318.04			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "2210" चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	Major Head "2210" Medical and Public Health				
मू.	O.	33297.00			
पू.	S.	1.00	30758.24	30606.08	-152.16
पु.	R.	-2539.76			
मुख्य शीर्ष "2215" जल आपूर्ति और स्वच्छता	Major Head "2215" Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	6543.00			
पू.	S.	2.00	9008.42	9002.19	-6.23
पु.	R.	2463.42			
मुख्य शीर्ष "2216" आवासन	Major Head "2216" Housing				
मू.	O.	4623.00	5286.46	5268.78	-17.68
पु.	R.	663.46			
मुख्य शीर्ष "2217" शहरी विकास	Major Head "2217" Urban Development				
मू.	O.	21676.00			
पू.	S.	1.00	20616.00	20615.86	-0.14
पु.	R.	-1061.00			
मुख्य शीर्ष "2406" वन और वन्य जीव	Major Head "2406" Forestry and Wild Life				
मू.	O.	30770.00	28762.48	28692.20	-70.28
पु.	R.	-2007.52			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष “2408”	Major head “2408”				
खाद्यान्न भंडारण और भंडारगृह	Food Storage and Warehousing				
मू.	O.	2305.00	1498.20	1498.10	-0.10
पु.	R.	-806.80			
मुख्य शीर्ष “2515”	Major Head “2515”				
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	Other Rural Development Programmes				
मू.	O.	10239.00	8932.22	8926.33	-5.89
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1307.78			
मुख्य शीर्ष “2801”	Major Head “2801”				
विद्युत	Power				
मू.	O.	95788.00	102022.82	102002.12	-20.70
पु.	R.	6234.82			
मुख्य शीर्ष “3051”	Major Head “3051”				
पत्तन तथा प्रकाश स्तंभ	Ports and Light Houses				
मू.	O.	20090.00	18602.30	18534.80	-67.50
पु.	R.	-1487.70			
मुख्य शीर्ष “3052”	Major Head “3052”				
पोत परिवहन	Shipping				
मू.	O.	46454.00	48648.00	48622.50	-25.50
पु.	R.	2194.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3053"	Major Head "3053"				
नागर विमानन	Civil Aviation				
मू.	O.	12059.00	9655.00	9654.60	-0.40
पु.	R.	-2404.00			
मुख्य शीर्ष "3054"	Major Head "3054"				
सड़कें तथा सेतु	Roads and Bridges				
मू.	O.	11591.00	8366.97	8350.68	-16.29
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	-3226.03			
मुख्य शीर्ष "3225"	Major Head "3225"				
दूरसंचार सेवाएं	Telecommunication Services				
मू.	O.	24684.00	20906.88	20906.88	..
पु.	R.	-3777.12			

(I) छब्बीस शीर्षों के अंतर्गत ₹2279.00 लाख का प्रावधान पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा, जिसमें से ₹1500.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "3053" – "वायुयान सेवायें – अन्य व्यय पोर्ट ब्लेअर–चेन्नई/कोलकाता सेक्टर के बीच उडान संचालन के लिए पट्टा आधार पर वायुयान का अधिग्रहण – वर्तमान हलिकाप्टर बेडे के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखाबद्ध थे।

(I) Provision of ₹2279.00 lakhs remained wholly unutilized under twenty six heads; of these ₹1500.00 lakhs alone accounted for under Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure - Acquisition of Aircraft on Lease basis for operating between Port Blair - Chennai/Kolkata Sector" - due to non-finalization of proposal for modernization of existing helicopter fleet.

(II) मुख्य शीर्ष "2070" – "होम गार्ड्स – स्थापना" के अंतर्गत – ₹678.81 लाख की बचत (₹3432.00 लाख के

(II) Under Major Head "2070" - "Home Guards - Establishment" - saving of ₹678.81 lakhs (against

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को नहीं भरे जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष "2202" – "प्रारंभिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक स्कूल – मध्याह्न भोजन" के अंतर्गत – ₹673.69 लाख की बचत (₹1200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बिल प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

(IV) मुख्य शीर्ष "2210" के अंतर्गत – बचतें निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(का) "शहरी स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – निर्देशन और प्रशासन – स्वास्थ्य सेवा निदेशालय" – ₹535.29 लाख की बचत (₹4318.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ए एन एस एच आई योजना का ए बी – पी एम जे ए वाई में विलय होने के कारण ए बी – पी एम जे ए वाई के तहत पैकेज दरों में कटौती के चलते हुई।

(खा) "ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें – एलोपैथी – प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र – प्राथमिक स्वास्थ्य योजना" – ₹576.11 लाख की बचत (₹6607.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सभी जिला अस्पतालों में प्रेशर स्विंग एडजोरपश्न संयंत्र की संस्थापना के कारण आक्सीजन सिलेंडरों की खरीद पर कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता" के अंतर्गत – ₹2560.00 लाख की बचत (₹3560.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष "2406" – "वन्यीकरण और पारस्थितकीय विकास – राज्य प्रतिपूरक वन्यकरण – राज्य प्राधिकरण" के अंतर्गत – ₹1814.16 लाख की बचत (₹2235.90 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सी ए एम पी ए कार्य योजना का अनुमोदन नहीं किए जाने के कारण हुई।

the sanctioned provision of ₹3432.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts.

(III) Under Major Head "2202" - "Elementary Education - Government Primary Schools - Mid Day Meals" - saving of ₹673.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1200.00 lakhs) was due to non- receipt of bills.

(IV) Under Major Head "2210" - savings occurred under the following heads: -

(A) "Urban Health Service - Allopathy - Direction and Administration - Directorate of Health Services" - saving of ₹535.29 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4318.00 lakhs) was due to reduction in package rates under AB-PMJAY owing to merger of ANISHI scheme with AB-PMJAY.

(B) "Rural Health Services - Allopathy - Primary Health Centres - Primary Health Schemes" - saving of ₹576.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6607.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards procurement of Oxygen cylinder owing to installation of Pressure Swing Adsorption plant in all district hospitals.

(V) Under Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹2560.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3560.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VI) Under Major Head "2406" - "Afforestation and Ecology Development - State Compensatory Afforestation - State Authority" - saving of ₹1814.16 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2235.90 lakhs) was due to non-approval of Action Plan of State CAMPA.

(VII) मुख्य शीर्ष "2408" – "खाद्य – खरीद और आपूर्ति – चावल की खरीद" के अंतर्गत – ₹600.77 लाख की बचत (₹1600.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पीडीएस के अंतर्गत कम मात्रा की मांग होने और निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(VII) Under Major Head "2408" - "Food - Procurement and Supply - Purchase of Rice" - saving of ₹600.77 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1600.00 lakhs) was due to less demand under PDS and non-finalization of tenders.

(VIII) मुख्य शीर्ष "2515" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(VIII) Under Major Head "2515" - savings occurred under the following heads: -

(का) "जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता – जिला परिषद" – ₹540.85 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats - Zilla Parishad" - saving of ₹540.85 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(खा) "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायतों को सहायता" – ₹1352.73 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछली अनुदानों के संबंध में उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण हुई ।

(B) "Assistance to Gram Panchayats - Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹1352.73 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs) was due to non-receipt of utilization certificate in respect of previous grants.

(IX) मुख्य शीर्ष "2801" – "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन" – बचतें निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(IX) Under Major Head "2801" - "Diesel/Gas Power Generation" - savings occurred under the following heads: -

(का) "निदेशन और प्रशासन – विद्युत की खरीद" – ₹852.17 लाख की बचत (₹4083.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विद्युत खरीद करार को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(A) "Direction and Administration - Purchase of Power" - saving of ₹852.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4083.00 lakhs) was due to non-finalization of power purchase agreement.

(खा) "अन्य विद्युत गृह – विद्युत संयंत्र और आनुषंगिक कार्य" – ₹1370.48 लाख की बचत (₹52286.10 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संशोधित सुनिश्चित करियर प्रोग्रेशन स्कीम दावों को अंतिम रूप नहीं दिए जाने और कम संख्या में छुट्टी यात्रा रियायत दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(B) "Other Power Houses - Power Plant and Ancillary Works" - saving of ₹1370.48 lakhs (against the sanctioned provision of ₹52286.10 lakhs) was due to non-finalization of Modified Assured Career Progression Scheme claims and receipt of less Leave Travel Concession claims.

(X) मुख्य शीर्ष "3051" – "छोटे पत्तन – डाकयार्ड और शुष्क डाकिंग – सरकारी डाकयार्ड" के अंतर्गत – ₹530.55 लाख की बचत (₹8785.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम संख्या में छुट्टी यात्रा रियायत/वार्षिक फ्री समुद्री रास्ता और बाल शिक्षा भत्ता दावे प्राप्त होने के

(X) Under Major Head "3051" - "Minor Ports - Dockyard and Dry Docking - Government Dockyard"- saving of ₹530.55 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8785.00 lakhs) was due to receipt of less Leave Travel Concession/Annual Free

कारण हुई।

Sea Passage and Children Education Allowance claims.

(XI) मुख्य शीर्ष "3053" – "वायुयान सेवायें – अन्य व्यय – पवन हंस हेलिकाप्टर लिमिटेड को भुगतान" के अंतर्गत – ₹900.06 लाख की बचत (₹2500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वर्तमान हलिकाप्टर बेडे के आधुनिकीकरण के प्रस्ताव को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण हुई।

(XI) Under Major Head "3053" - "Air Services - Other Expenditure - Payment to Pawan Hans Helicopters Limited" - saving of ₹900.06 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2500.00 lakhs) was due to non-finalization of proposal for modernization of existing helicopter fleet.

(XII) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला और अन्य सडकें" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(XII) Under Major Head "3054" - "District and Other Roads" - savings occurred under the following heads: -

(का) "नगर पालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता – पोर्ट ब्लेअर नगर परिषद" – ₹508.03 लाख की बचत (₹950.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(A) "Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Port Blair Municipal Council" - saving of ₹508.03 lakhs (against the sanctioned provision of ₹950.00 lakhs); and

(खा) "ग्राम पंचायतों को सहायता – ग्राम पंचायत को मदद" – ₹2619.42 लाख की बचत (₹3275.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(B) "Assistance to Gram Panchayats - Aids to Gram Panchayat" - saving of ₹2619.42 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3275.00 lakhs).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above two heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(गा) "जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता – जिला परिषद" के अंतर्गत – ₹788.26 लाख की बचत (₹1125.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों के पास पिछले वर्ष की अप्रयुक्त शेष राशि उपलब्ध होने के कारण हुई।

(C) "Assistance to Zilla Parishads/District Level Panchayats - Zilla Parishad" - saving of ₹788.26 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1125.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous year with the implementing agencies.

(XIII) मुख्य शीर्ष "3225" – "दूरसंचार प्रणाली – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में निवेश" के अंतर्गत – बचतें निम्न लिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(XIII) Under Major Head "3225" - "Telecommunication Systems - Investments in Public Sector and Other Undertakings" - savings occurred under the following heads: -

(का) "सेटेलाइट ट्रांसपोंडर किराये पर लेना" – ₹1035.33 लाख की बचत (₹20000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सीएएनआई–एसएमसी के माध्यम से बैंडविथ की बिक्री द्वारा राजस्व अर्जित किए जाने के कारण हुई।

(A) "Hiring of Satellite Transponder" - saving of ₹1035.33 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20000.00 lakhs) was due to revenue generated by sale of bandwidth through CANI-SMC.

(खा) "चेन्नई अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह उप मैरीन केबिल" – ₹2741.79 लाख की बचत (₹4684.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने और सीएएनआई–एसएमसी के माध्यम से बैंडविथ की बिक्री से राजस्व अर्जित होने के कारण हुई ।

(B) "Chennai Andaman and Nicobar Islands Sub Marine Cable" - saving of ₹2741.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4684.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance and revenue generated by sale of bandwidth through CANI-SMC.

(XIV) बारह शीर्षों के अंतर्गत ₹4465.32 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 63 प्रतिशत तक थीं।

(XIV) Under twelve heads saving of ₹4465.32 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 63 percent of the sanctioned provision.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹3753.33 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि दिसंबर, 2022 में निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹5.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹3753.33 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grants of ₹5.00 lakhs in December, 2022 and March, 2023 under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "3451" – "सचिवालय – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह" – ₹819.03 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹802.24 लाख था।

(A) Major Head "3451" - "Secretariat - Andaman and Nicobar Islands" - ₹819.03 lakhs. Actual excess, however, was ₹802.24 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष "2217" – "सामान्य – नगर पालिकों/नगर परिषदों को सहायता पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद को बजटीय सहायता" – ₹1499.00 लाख।

(B) Major Head "2217" - "General - Assistance to Municipalities/Municipal Councils - Budgetary Support to Port Blair Municipal Council" - ₹1499.00 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष "2515" – "ब्लाक पंचायतों/मध्यम स्तरीय पंचायतों को सहायता – पंचायत समिति" – ₹777.30 लाख।

(C) Major Head "2515" - "Assistance to Block Panchayats/Intermediate Level Panchayats - Panchayat Samiti" - ₹777.30 lakhs.

(घा) मुख्य शीर्ष "3054" – "जिला और अन्य सडकें – ब्लाक पंचायत/मध्यम स्तरीय पंचायत – पंचायत समितियां" – ₹658.00 लाख।

(D) Major Head "3054" - "District and Other Roads - Block Panchayat/Intermediate Level Panchayat - Panchayat Samities" - ₹658.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुए अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित हो गईं :–

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष "2055" – "जिला पुलिस – जिला पुलिस स्थापना" – ₹805.99 लाख का अधिक व्यय (₹18827.70 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, अपेक्षाकृत

(A) Major Head "2055" - "District Police - District Police Establishment" - excess of ₹805.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹18827.70 lakhs) was due to requirement of additional funds

अधिक संख्या में चिकित्सा दावे प्राप्त होने और विशेषज्ञ उपचार के लिए मुख्य भूमि को रेफर करने के कारण हुआ।

(खा) मुख्य शीर्ष "2059" – "सामान्य – उचंत – स्टाक" – ₹796.20 लाख का अधिक व्यय (₹2200.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एच एस डी/पी ओ एल की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "2202" – "प्राथमिक शिक्षा – सरकारी प्राथमिक स्कूल – प्राथमिक शिक्षा" – ₹1720.87 लाख का अधिक व्यय (₹29220.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महंगाई भत्ते, संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता, छुट्टी यात्रा रियायत/यात्रा भत्ता के अपेक्षाकृत अधिक दावे प्राप्त होने के कारण हुआ।

(घा) मुख्य शीर्ष "2215" – "जल आपूर्ति" –

(क) "शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम – पोर्ट ब्लेयर नगर पालिका क्षेत्र के लिए जल आपूर्ति कार्यक्रम" – ₹717.99 लाख का अधिक व्यय (₹1143.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना मे) हुआ;

(ख) "ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम – ग्रामीण पाइप लाइन जल आपूर्ति" – ₹1833.07 लाख का अधिक व्यय (₹4140.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(डा) मुख्य शीर्ष "2216" – "सामान्य पूल के आवास – रखरखाव और मरम्मत – अन्य रखरखाव व्यय" – ₹590.92 लाख का अधिक व्यय (₹3440.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक बचतें मरम्मत और रखरखाव के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता और डी आर एम एस के वेतन और वर्क चार्ज स्टाफ के भत्तों में वृद्धि के कारण हुई ।

(चा) मुख्य शीर्ष "2801" –

towards dearness allowance, receipt of more medical claims and referral of cases to mainland for specialized treatment.

(B) Major Head "2059" - "General - Suspense - Stock" - excess of ₹796.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2200.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards the procurement of HSD/POL.

(C) Major Head "2202" - "Elementary Education - Government Primary Schools - Primary Education" - excess of ₹1720.87 lakhs (against the sanctioned provision of ₹29220.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance, Modified Assured Career Progression and receipt of more Leave Travel Concession /Travelling Allowance claims.

(D) Major Head "2215" - "Water Supply" -

(a) "Urban Water Supply Programmes - Water Supply Programme to Port Blair Municipal Area" - excess of ₹717.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1143.00 lakhs);

(b) "Rural Water Supply Programmes - Rural Piped Water Supply" - excess of ₹1833.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4140.00 lakhs); and

(E) Major Head "2216" - "General Pool Accommodation - Maintenance and Repairs - Other Maintenance Expenditure" - excess of ₹590.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3440.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to requirement of additional funds towards repair and maintenance and increase in pay of DRMs and allowances of work charged staffs.

(F) Major Head "2801" -

(क) "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन – चेथम में विद्युत गृह – विद्युत संयंत्र और आनुषंगिक कार्य" – ₹7000.00 लाख का अधिक व्यय (₹23000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) "ग्रामीण विद्युतीकरण – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – अन्य योजनायें" – ₹533.46 लाख का अधिक व्यय (₹7022.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक बचतें उत्पादन के लिए एच एस डी आयल की खरीद के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुईं।

(ग) "पारेषण और वितरण – पोर्ट ब्लेअर में पारेषण और वितरण – विद्युत वितरण" – ₹873.52 लाख का अधिक व्यय (₹4833.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) डी आर एम एस के महंगाई भत्ते और वेतन वृद्धि के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता के कारण हुआ।

(का) मुख्य शीर्ष "3052" – "तटीय पोत परिवहन – पोत परिवहन सेवायें – अंतर द्वीपीय पोतों का परिचालन शुल्क" – ₹1980.62 लाख का अधिक व्यय (₹24800.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पी ओ एल की अपेक्षाकृत अधिक खपत और पोतों के परिचालन के कारण हुआ।

(III) चार शीर्षों के अंतर्गत ₹1648.43 लाख का अधिक व्यय हुआ, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, किंतु ₹500.00 लाख से कम था और स्वीकृत प्रावधान का 13 प्रतिशत से 38 प्रतिशत तक था ।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में समग्र बचतें (₹11572.27 लाख) मार्च, 2023 में प्राप्त ₹20.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक थी और कुल स्वीकृत प्रावधान का 20 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुए :–

(a) "Diesel/Gas Power Generation - Power House at Chatham - Power Plant and Ancillary Works" - excess of ₹7000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹23000.00 lakhs); and

(b) "Rural Electrification - Tribal Area Sub-Plan - Other Schemes" - excess of ₹533.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7022.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to requirement of additional funds towards procurement of HSD oil for power generation.

(c) "Transmission and Distribution - Transmission and Distribution at Port Blair - Power Distribution" - excess of ₹873.52 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4833.00 lakhs) was due to requirement of additional funds towards dearness allowance and increase of pay of DRMs.

(G) Major Head "3052" - "Coastal Shipping - Shipping Services - Operational Charges of Inter-Islands Vessels" - excess of ₹1980.62 lakhs (against the sanctioned provision of ₹24800.00 lakhs) was due to more consumption of POL and operation of vessels.

(III) Under four heads excess of ₹1648.43 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 13 percent to 38 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, the overall savings (₹11572.27 lakhs) exceeded the supplementary grants of ₹20.00 lakhs obtained in March, 2023 and constituted 20 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "4202"	Major Head "4202"				
शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Education, Sports, Art and Culture				
मू.	O.	2019.00			
पू.	S.	1.00	2747.00	2746.34	-0.66
पु.	R.	727.00			
मुख्य शीर्ष "4215"	Major Head "4215"				
जल आपूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Water Supply and Sanitation				
मू.	O.	7290.00	5529.00	5527.42	-1.58
पु.	R.	-1761.00			
मुख्य शीर्ष "4250"	Major Head "4250"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Other Social Services				
मू.	O.	552.00			
पू.	S.	1.00	996.11	995.57	-0.54
पु.	R.	443.11			
मुख्य शीर्ष "4801"	Major Head "4801"				
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	3328.00			
पू.	S.	1.00	1482.67	1481.50	-1.17
पु.	R.	-1846.33			

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत – Saving -
मुख्य शीर्ष "5051"	Major Head "5051"				
पत्तन और लाइट हाउस पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Ports and Light Houses				
मू.	O.	3186.00	1922.00	1916.48	-5.52
पु.	R.	-1264.00			
मुख्य शीर्ष "5052"	Major Head "5052"				
पोत परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Shipping				
मू.	O.	15719.00	10890.07	10885.13	-4.94
पु.	R.	-4828.93			
मुख्य शीर्ष "5054"	Major Head "5054"				
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Roads and Bridges				
मू.	O.	8960.00	7735.42	7719.19	-16.23
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-1225.58			

(I) तीन शीर्षों के अंतर्गत ₹16.50 लाख का प्रावधान (₹0.50 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) पूरी तरह से अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹16.50 lakhs (including token supplementary grant of ₹0.50 lakh) remained wholly unutilized under three heads.

(II) मुख्य शीर्ष "4215" – "जल आपूर्ति – ग्रामीण जल आपूर्ति – ग्रामीण क्षेत्रों में जल आपूर्ति" के अंतर्गत – ₹1491.46 लाख की बचत (₹5000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) Under Major Head "4215" - "Water Supply - Rural Water Supply - Water Supply in Rural Areas" - saving of ₹1491.46 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5000.00 lakhs);

(III) मुख्य शीर्ष "4801" – "पारेषण और वितरण – निदेशन और प्रशासन पारेषण और वितरण पर व्यय" के अंतर्गत – ₹1437.19 लाख की बचत (₹2187.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(III) Under Major Head "4801" - "Transmission and Distribution - Direction and Administration - Expenditure on Transmission and Distribution" - saving of ₹1437.19 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2187.00 lakhs);

(IV) मुख्य शीर्ष "5051" – "छोटे पत्तन – जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जेट्टियों का निर्माण" के अंतर्गत – ₹1067.78 लाख की बचत (₹1075.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(IV) Under Major Head "5051" - "Minor Ports - Tribal Area Sub-Plan - Construction of Jetties" - saving of ₹1067.78 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1075.00 lakhs);

(V) मुख्य शीर्ष "5052" – "सामान्य" के अंतर्गत – बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :–

(V) Under Major Head "5052" - "General"- savings occurred under the following heads:-

(का) "टनेज का अधिग्रहण और विस्तार – जहाजों की खरीद" के अंतर्गत – ₹993.01 लाख की बचत (₹9367.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(A) "Acquisition and Expansion of Tonnage - Purchase of Ships" - saving of ₹993.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹9367.00 lakhs);

(खा) "जनजातीय क्षेत्र उप योजना – जहाजों की खरीद" – ₹3688.70 लाख की बचत (₹6152.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(B) "Tribal Area Sub-Plan - Purchase of Ships" - saving of ₹3688.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6152.00 lakhs); and

(VI) मुख्य शीर्ष "5054" – "जिला और अन्य सडकें – सडक निर्माण कार्य – ग्रामीण सडकें" – ₹1096.17 लाख की बचत (₹4900.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

(VI) Under Major Head "5054" - "District and Other Roads - Road Works - Rural Roads" - saving of ₹1096.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4900.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत बचतें वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित प्राक्कलन चरण में प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण हुई।

Savings under the above six heads were due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance.

(VII) आठ शीर्षों के अंतर्गत ₹2499.75 लाख की बचत हुई, जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक, किंतु ₹500.00 लाख से कम थी और स्वीकृत प्रावधान का 11 प्रतिशत से 79 प्रतिशत तक थीं।

(VII) Under eight heads saving of ₹2499.75 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 11 percent to 79 percent of the sanctioned provision.

2. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान बढाने के लिए आंशिक रूप से (₹1312.30 लाख) प्रयुक्त हो गईं, जैसा कि निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹3.00 लाख का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2. The above savings were partly (₹1312.30 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of ₹3.00 lakhs under the following major heads: -

(का) मुख्य शीर्ष “4202” – “सामान्य शिक्षा – विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – भवन” – ₹363.80 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹363.70 लाख था।

(A) Major Head “4202” - “General Education - University and Higher Education - Buildings” - ₹363.80 lakhs. Actual excess, however, was ₹363.70 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “4250” – “श्रम – भवन” के अंतर्गत – ₹449.50 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹449.40 लाख था।

(B) Major Head “4250” - “Labour - Buildings” - ₹449.50 lakhs. Actual excess, however, was ₹449.40 lakhs.

(गा) मुख्य शीर्ष “5054” – “जिला और अन्य सडकें – सडक निर्माण कार्य – जिला सडकें” के अंतर्गत – ₹499.00 लाख। तथापि वास्तविक अधिक व्यय ₹498.99 लाख था।

(C) Major Head “5054” - “District and Other Roads - Road Works - District Roads” - ₹499.00 lakhs. Actual excess, however, was ₹498.99 lakhs.